



अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना।

राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एक मुश्त 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थी के लिए अहर्ता एवं शर्तः:-

- बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए।
- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
- पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया:-

- विभागीय वेबसाइट- www.scstwelfare.bih.nic.in पर निर्धारित तिथि (31.10.2018) तक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगे। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या एवं आई०एफ०एस० कोड स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक की **Scanned** प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल आई-डी होनी चाहिए। इसका सत्यापन किया जाएगा।
- ऑन-लाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करनी होंगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि:- 31.10.2018

- आवेदन करने की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट- www.scstwelfare.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।
- विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या-0612-2215265 पर संपर्क किया जा सकता है।

निदेशक